

of India dated the 2nd December, 1968.

(2) The Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Amendment Act, 1968 (President's Act No. 34 of 1968) published in Gazette of India dated the 2nd December, [Placed in Library. See. No. LT-2761/68]

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FORTY-SECOND REPORT

SHRI KHADILKAR (Khed): Sir, I beg to present the Forty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.55 hrs.

ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE BILL *Contd.*

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, आपको पता होगा कि जब एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस बिल पर यहां बहस हो रही थी तो उपाध्यक्ष महोदय ने हम लोगों के द्वारा प्रारोप उठाए जाने पर दो मामले कमेटी और सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन के पास भेजे। कमेटी ने इन शब्दों में इस बात को रखा है। उनकी रपट से मैं पढ़ रहा हूँ:

"whether the provisions relating to delegation of powers contained in the Essential Services Maintenance Bill, 1968 are of a normal or exceptional nature and (2) whether the notifications to be issued under the said Bill, when enacted, should be laid on the Table of the House before they come into operation or after..."

इसके बाद मैंने कमेटी से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ मुझे समय दीजिए लेकिन मुझे कोई

इतिला नहीं दी गई। मुझे बाद में पता चला कि दूसरे दिन शाम को वह अपनी प्रतिम फैसला करने वाली है तो रात भर मेहनत करके मैंने अपना बयान कमेटी के सामने पेश किया। शाम को मैं 5 बजे कमेटी के सामने अपनी गवाही देने के लिए उपस्थित हो गया। मैंने जो लिखित बयान दिया था वह तो कमेटी की रपट के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन साथ-साथ मैंने जो जवानी बातें कहीं थीं उसके बारे में मेरा ख्याल था कि कमेटी सोच-विचार करने के बाद अपना निर्णय देगी। जब मैं पेटेंट्स कमेटी के काम के लिए डिप्टी सेक्रेटरी श्री चावला आदि के साथ लखनऊ गया था तो मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि शायद मेरी गवाही पर कमेटी विचार ही नहीं करेगी। इसलिए लखनऊ से मैंने आपकी सेवा में एक पत्र भेजा और मेरे मन में जो सन्देह था वही हो गया। यहां आने के पश्चात मैंने कमेटी की रपट को देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरी गवाही पर कमेटी ने बिलकुल गौर नहीं फरमाया।

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA (Anand): It is a reflection on the Committee.

श्री मधु लिमये : इसमें रिफ्लेक्शन की क्या बात है मैं स्वयं इसको साबित करने वाला हूँ। यह सदन कमेटी से बड़ा है और कमेटी जब कोई शर्त काम करती है तो व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को उसके बारे में सदन के सामने आकर अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। वह अपने को सदन से ऊंचा न समझे।

अब मैं कमेटी के निर्णय में से एक ही अनुच्छेद पढ़ूंगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं क्या निवेदन करना चाहता हूँ। यह चौथे पृष्ठ पर अनुच्छेद 7 है :

"In the light of the previous precedents and the aforesaid judgments of the Supreme Court and the Bombay High Court and after considering all aspects of the matter, the Committee